2025/757

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

श्योपाल आदि बनाम तहसीलदार, सीकर ग्रामीण

किस्म मुकद्दमा [illegible] मु.नं. 382 वर्ष 2025

| दिनांक | आज्ञा - पत्र | |
|---|---|---|
| 17/9/25 | प्रार्थीगण श्योपाल पुत्र नारायण, हनुमान पुत्र नारायण समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम गोठड़ा तगालान तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम को दुरूस्त करने के अनुसार वाके ग्राम गोठड़ा तगालान तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के खाता सं. (नया) 174 व 175 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थीगण के नाम की प्रविष्ठियां श्योपाल पुत्र नाराणा जाति मीणा, हणमान पुत्र नाराणा जाति मीणा दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि प्रार्थीगण के नाम की सही प्रविष्ठियां क्रमशः श्योपाल पुत्र नारायण जाति बलाई, हनुमान पुत्र नारायण जाति बलाई है। प्रार्थीगण के नाम से बने दस्तावेजात की प्रस्तुत प्रतियों के अनुसार प्रार्थीगण के नाम की प्रविष्ठियां क्रमशः श्योपाल पुत्र नारायण जाति बलाई, हनुमान पुत्र नारायण जाति बलाई अंकित है, जो कि सही है। अर्थात् प्रार्थीगण के पिता का सही नाम नारायण तथा जाति बलाई है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थीगण के नाम की प्रविष्ठियां श्योपाल पुत्र नाराणा जाति मीणा, हणमान पुत्र नाराणा जाति मीणा के स्थान पर उक्त प्रविष्ठियां क्रमशः श्योपाल पुत्र नारायण जाति बलाई, हनुमान पुत्र नारायण जाति बलाई दुरूस्त किया जावें।<br><br>प्रकरण में प्रार्थीगण के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./2025/2774 दिनांक 12.08.2025 के द्वारा दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट्स मुताबिक प्रार्थीगण के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना–पत्र अ.धा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें।<br><br>अतः प्रार्थीगण का आवेदन तहसीलदार, सीकर ग्रामीण की उक्त रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम गोठड़ा तगालान तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के खाता सं. (नया) 174 व 175 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थीगण के नाम की प्रविष्ठियां श्योपाल पुत्र नाराणा जाति मीणा, हणमान पुत्र नाराणा जाति मीणा के स्थान पर उक्त प्रविष्ठियां क्रमशः श्योपाल पुत्र नारायण जाति बलाई, हनुमान पुत्र नारायण जाति बलाई दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदारान/प्रार्थीपक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./2025/2774 दिनांक 12.08.2025 के द्वारा प्राप्त दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को लिखा जावें।<br><br>आदेश सुनाया गया। पत्रावली [illegible] होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी,<br>धोद जिला सीकर | |

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला–सीकर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.08 16:02:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner